

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 347/2024

अनवान : -

1. रमजान खां पुत्र गन्नी जाति कुम्हार निवासी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अदरीश पुत्र नजीर गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुंशी खां पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. बिस्मीला पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. रोशन खां पुत्र गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. जुबैदा पुत्री गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
6. शमशेर पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. श्योकतअली पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
8. याकुब पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
9. नाजम अली पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
10. गुलजारा पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
11. बलकीसा पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
12. समीना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
13. रसीदा उर्फ रूकशेना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
14. रूकसाना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
15. शबनम पुत्री मुश्ताक जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा 14 बाराणी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण ने बांहमी बटवारा कर रखा जो कि निम्न प्रकार से है-

वादी (रमजान खां)

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 9-12 की 0.5060 बाराणी प्रथम कि.न. 19/1 की 0.2400 बाराणी प्रथम 22/1 की 0.2400 बाराणी प्रथम कुल 0.9860 हे. बाराणी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 1 अदरीश



al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प.न. 323/437 मु.न. 86 कि.न. 23-24-25 की 0.7590 बारानी प्रथम प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 21/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9990 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी सं० 2 व 3 मुंशीखां, बिस्मीला

प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 19-22 की 0.5060 बारानी प्रथम कि.न. 21/2 की 0.0130 बारानी प्रथम प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/1 की 0.2140 बारानी प्रथम कि.न. 2 की 0.2530 बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी सं० 4 रोशन खां

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/2 की 0.0260 बारानी प्रथम कि.न. 10/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 11/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 20/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 21/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी सं० 5 जुबैदा

प.न. 323/438 मु.न. 105 कि.न. 16-25 की 0.5060 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 1/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी प्रथम कि.न. 2/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता 2/2 की 0.2280 बारानी प्रथम 3/2/1 की 0.0250 बारानी प्रथम कुल 1.0370 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम व 0.050 गे.मु. रास्ता


प्रतिवादी सं० 6 ता 15 शमशेर, श्योकतअली, याकुब, नाजम अली, गुलजारा, बलकीसा, शबनम, समीना, रसीदा उर्फ रूकशेना, रूकसाना

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 13-18-23 की 0.7590 बारानी प्रथम कि.न. 19/2 की 0.0130 बारानी प्रथम 22/2 की 0.0130 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 3/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता 3/2/2 की 0.2030 बारानी प्रथम कुल 1.0130 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम व 0.0250 गे.मु.रास्ता

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 15 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 16 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।


उपजर्ज अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मोजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है० वाद भूमि का निम्नानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है—

वादी (रमजान खां)

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 9-12 की 0.5060 बारानी प्रथम कि.न. 19/1 की 0.2400 बारानी प्रथम 22/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स० 1 अदरीश

प.न. 323/437 मु.न. 86 कि.न. 23-24-25 की 0.7590 बारानी प्रथम प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 21/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9990 हे. बारानी प्रथम भूमि


उपजम्द अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 2 व 3 मुंशीखां , बिस्मीला

प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 19-22 की 0.5060 बारानी प्रथम कि.न. 21/2 की 0.0130 बारानी प्रथम
प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/1 की 0.2140 बारानी प्रथम कि.न. 2 की 0.2530 बारानी प्रथम कुल
0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 4 रोशन खां

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/2 की 0.0260 बारानी प्रथम कि.न. 10/1 की 0.2400 बारानी प्रथम
कि.न. 11/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 20/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 21/1 की 0.2400
बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 5 जुबैदा

प.न. 323/438 मु.न. 105 कि.न. 16-25 की 0.5060 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 1/1
की 0.0250 गे.मु. रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी प्रथम कि.न. 2/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता 2/2 की
0.2280 बारानी प्रथम 3/2/1 की 0.0250 बारानी प्रथम कुल 1.0370 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम
व 0.050 गे.मु. रास्ता

प्रतिवादी स0 6 ता 15 शमशेर , श्योकतअली, याकुब, नाजम अली , गुलजारा, बलकीसा , शबनम ,
समीना, रसीदा उर्फ रूकशेना , रूकसाना


प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 13-18-23 की 0.7590 बारानी प्रथम कि.न. 19/2 की 0.0130 बारानी
प्रथम 22/2 की 0.0130 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 3/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता
3/2/2 की 0.2030 बारानी प्रथम कुल 1.0130 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम व 0.0250 गे.मु.रास्ता

गैरमुनकीन रास्ता

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/3 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 10/2 की 0.0130
गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 11/2 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 20/2 की 0.0130 गैरमुनकीन
रास्ता कि.न. 21/2 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कुल 0.0650 हे. गैरमुनकीन रास्ता।

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी
सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा
तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 347/2024

अनवान : -

1. रमजान खां पुत्र गन्नी जाति कुम्हार निवासी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अदरीश पुत्र नजीर गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुंशी खां पुत्र गफुरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. बिस्मीला पुत्री गफुरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. रोशन खां पुत्र गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. जुबैदा पुत्री गन्नी जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
6. शमशेर पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. श्योकतअली पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
8. याकुब पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
9. नाजम अली पुत्र आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
10. गुलजारा पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
11. बलकीसा पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
12. समीना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
13. रसीदा उर्फ रूकशेना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
14. रूकसाना पुत्री आमीन खां जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
15. शबनम पुत्री मुश्ताक जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 347 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/08/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 27/24 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.0720 है0 वाद भूमि का निम्नानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

वादी (रमजान खां)

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 9-12 की 0.5060 बारानी प्रथम कि.न. 19/1 की 0.2400 बारानी प्रथम 22/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 1 अदरीश

प.न. 323/437 मु.न. 86 कि.न. 23-24-25 की 0.7590 बारानी प्रथम प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 21/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कुल 0.9990 हे. बारानी प्रथम भूमि


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 2 व 3 मुंशीखां , बिस्मीला

प.न. 324/437 मु.न. 87 कि.न. 19-22 की 0.5060 बारानी प्रथम कि.न. 21/2 की 0.0130 बारानी प्रथम
प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/1 की 0.2140 बारानी प्रथम कि.न. 2 की 0.2530 बारानी प्रथम कुल
0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 4 रोशन खां

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/2 की 0.0260 बारानी प्रथम कि.न. 10/1 की 0.2400 बारानी प्रथम
कि.न. 11/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 20/1 की 0.2400 बारानी प्रथम कि.न. 21/1 की 0.2400
बारानी प्रथम कुल 0.9860 हे. बारानी प्रथम भूमि

प्रतिवादी स0 5 जुबैदा

प.न. 323/438 मु.न. 105 कि.न. 16-25 की 0.5060 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 1/1
की 0.0250 गे.मु. रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी प्रथम कि.न. 2/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता 2/2 की
0.2280 बारानी प्रथम 3/2/1 की 0.0250 बारानी प्रथम कुल 1.0370 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम
व 0.050 गे.मु. रास्ता

प्रतिवादी स0 6 ता 15 शमशेर ,शयोक्तअली, याकुब, नाजम अली , गुलजारा, बलकीसा ,शबनम ,
समीना, रसीदा उर्फ रूकशेना , रूकसाना

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 13-18-23 की 0.7590 बारानी प्रथम कि.न. 19/2 की 0.0130 बारानी
प्रथम 22/2 की 0.0130 बारानी प्रथम प.न. 324/439 मु.न. 111 कि.न. 3/1 की 0.0250 गे.मु. रास्ता
3/2/2 की 0.2030 बारानी प्रथम कुल 1.0130 हे. जिसमे 0.9870 हे. बारानी प्रथम व 0.0250 गे.मु.रास्ता

गैरमुनकीन रास्ता

प.न. 324/438 मु.न. 104 कि.न. 1/3 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 10/2 की 0.0130
गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 11/2 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कि.न. 20/2 की 0.0130 गैरमुनकीन
रास्ता कि.न. 21/2 की 0.0130 गैरमुनकीन रास्ता कुल 0.0650 हे. गैरमुनकीन रास्ता।

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी
सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा
तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।

09
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर